ई-मेल/रजिस्टर्ड/सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या-3/1409आ-न-यो-/9-8-13-70ज/2013

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-8 **लखनऊः दिनांक 11 अक्टूबर, 2013**

विषयः वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजनान्तर्गत नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों को स्वीकृत की गयी धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना उपलबध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सख्या-1350आ-न-यो-/9-8-13-70ज/2013 दिनांक 02-9-2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासन द्वारा उक्त पत्र के साथ संलग्न की गयी सूची में उल्लिखित विभिन्न जनपदों की नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों को विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजनान्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु रूपये 5893.50 लाख की धनराशि स्वीक़त की गयी है। वित्त विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कोषवाणी में उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कोषागार द्वारा रूपये 1901.39 लाख की धनराशि ही निकायों में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत खोले गये खाते में ट्रान्सफर किया जाना पाया गया है, जबकि उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 02.9.2013 द्वारा यह निर्देश जारी किये गये थे कि अपने-अपने जनपद में नागर निकायों को आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये कार्यो के सापेक्ष तत्काल टेण्डर प्रक्रिया प्रारम्भ कर नियमानुसार फील्ड में कार्यो को प्रारम्भ किया जाय तथा इस योजना के अन्तर्गत निकायों द्वारा प्रस्तुत किये गये बिलों के सापेक्ष धनराशि तत्काल कोषागार से सम्बन्धित निकाय के आदर्श नगर योजना के खाते में ट्रास्फर किये जाने हेतु जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को निर्देशित किया जाय। कोषागार द्वारा निकायों को धनराशि को ट्रान्सफर न किया जाना अत्यन्त ही खेदजनक स्थिति का द्योतक है, जबकि शासन द्वारा वित्तीय

shasanadesh.up.nic.in

स्वीकृति जारी करने के साथ ही जनपदों को धनराशि का आवंटन किया जा चुका है।

2. अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने जनपदों से सम्बन्धित नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों जिनको शासन द्वारा आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु विभिन्न कार्यो के लिए धनराशि स्वीकृत करते हुए सम्बन्धित जनपदों को धनराशि का आवंटन किये जाने के बावजूद अभी तक निकायों के आदर्श नगर योजना के लिए खोले गये पृथक खाते में कोषागार से धनराशि दिनांक 20 अक्टूबर, 2013 तक ट्रान्सफर किया जाना सुनिश्चित कराते हुए विकास कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु यदि अभी तक टेण्डर न हुआ हो तो टेण्डर प्रकाशित किये जाने की कार्यवाही पूर्ण कर दिनांक 25.10.2013 तक मौके पर विकास कार्य प्रारम्भ किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। कृपया उपर्युक्त् आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता को शासन द्वारा अत्यन्त ही गंभीरता से लिया जायेगा।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

<u>संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश। (द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी)

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

shasanadesh.up.nic.in